



क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा

खेड़ रोड, सीईटीपी के सामने, बालोतरा, जिला बाड़मेर

Phone: 02988-225923 Website www.rpcb.nic.in, Email ro.balotara@gmail.com

नोटिस

बाड़मेर एवं जालोर जिले में स्थित सभी टैक्सटाईल प्रोसेसिंग उद्योगों को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उद्योगों की स्थापना एवं संचालन से पूर्व राज्य मण्डल से जल प्रदूषण (नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के तहत सम्मति प्राप्त करने के पश्चात ही उद्योग की स्थापना/उत्पादन प्रारंभ करें। सम्मति आवेदन हेतु ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें अथवा मण्डल की वेबसाइट www.rpcb.rajasthan.gov.in पर जाकर सीधे ही आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

बिना पूर्व सम्मति के स्थापित/संचालित हो रहे उद्योगों को भी चेतावनी दी जाती है कि वे राज्य मण्डल से विधिक सम्मति प्राप्त करने के पश्चात ही उद्योग की स्थापना अथवा उत्पादन प्रारंभ करें अन्यथा बिना पूर्व सम्मति के कार्यरत उद्योगों को बन्द करने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर दी जायेगी।

(वी.एस. सांखला)

क्षेत्रीय अधिकारी